संख्या:670/06/XXXIV/सू0प्रौ0/2005

प्रेषक,

शत्रुघ्न सिंह
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
इरला चैक,
उत्तराखण्ड शासन।

सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग देहरादून दिनांक 25 सितम्बर 2007

विषयः वित्तीय वर्ष 2007–08 में राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढ़ीकरण, व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान योजनान्तर्गत द्वितीय एवं अन्तिम किस्त की धनराशि स्वीकृत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, हिल्ट्रान के पत्र संख्याः यूपीएचएलसी/सी एण्ड डब्ल्यू/टीपीटी/07–08/दिनांक 20 सितम्बर 2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड को चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के दूर संचार तथा इलैक्ट्रानिक्स उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढ़ीकरण विशेष सेवाओं के लिए भुगतान योजनान्तर्गत परिवहन विभाग के कम्प्यूटरीकरण हेतु शासनादेश संख्या 21/XXXIV/06–सू0प्रौ0/2005 दिनांक 03 मार्च 2006 द्वारा प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत धनराशि रू0 234.95 लाख के अतिरिक्त योजना की लागत रू0 491.50 लाख के विपरीत अवशेष द्वितीय किस्त के रूप में रू0 15.00 लाख संगत मद से एवं रू0 241.55 लाख संलग्न बी0 एम0–15 में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों में पुर्नविनियोग के द्वारा अर्थात कुल रू0 256.55 लाख (रूपये दो करोड़ छप्पन लाख पचपन हजार मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर इस आशय से रखी जा रही है कि स्वीकृत धनराशि को एक मुश्त आहरित कर हिल्ट्रान को उपलब्ध कराई जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि हिल्ट्रान के पी0एल0ए0 में रखी जायेगी तथा इससे अर्जित समस्त ब्याज की धनराशि को वित्त विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार राजकोष में जमा किया जायेगा। बैंक में धनराशि के आहरण की सूचना समय–समय पर शासन को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

3– वर्षान्त तक स्वीकृत धनराशि के विपरीत एवं भौतिक प्रगति के साथ–साथ उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है, तो उस स्थिति में अवशेष धनराशि का समर्पण शासन को किया जायेगा।

4– स्वीकृति के शेष सभी शर्तें उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 03 मार्च 2006 के अनुसार रहेंगी।

5– जिस विभाग की योजना हो उनका अनुरोध, राज्य स्तर पर गठित समिति के परीक्षण हेतु प्रशासनिक विभाग सम्पूर्ण योजना, उसके लागत लाभ तथा आवश्यक टेक्नालाजी के प्रयोग के साथ यह प्रमाण पत्र देगें कि इसके लिए भारत सरकार या अन्य फन्डिंग का विकल्प नहीं है।

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि का मदवार व्यय विवरण का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर लिया जायेगा और इसका उपयोग दिनांक 31.3.2008 तक सुनिश्चित कर लिया जायेगा। उक्त योजना में व्यय की गई धनराशि का प्रभावी अनुश्रवण किया जायेगा।

7– इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–23 के लेखाशीर्षक–4859–दूर संचार तथा इलैक्ट्रानिक्स उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय, 02–इलैक्ट्रॉनिक्स,–आयोजनागत, 800–अन्य व्यय, 03–राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढ़ीकरण–00–16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 505/XXVII(2)/2007 दिनांक 20 नवम्बर, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शत्रुघ्न सिंह)
सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 620 (1)/06/XXXIV/सू0प्रौ0/2005, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. अपर सचिव वित्त (बजट), उत्तराखण्ड शासन।
8. प्रबन्ध निदेशक, हिल्ट्रान, देहरादून।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. वित्त अनुभाग–2
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(विजय कुमार ढौंडियाल)
अपर सचिव

आय–व्ययक प्रपत्र–15

आयोजनागत से आयोजनागत मद में पुनर्विनियोग हेतु 2007–08

अनुदान संख्या–23

प्रशासनिक विभाग–सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

नियंत्रक अधिकारी–सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी।

विभाग का नाम– यू0पी0 हिल इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0

(धनराशि रू0 हजार में)

बजट प्राविधान तथा लेखा शीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है तथा प्राविधान	पुनर्विनियोग के स्तम्भ 5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 1 में अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
4859–दूर संचार एवं इलैक्ट्रानिक्स उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय 02–इलैक्ट्रानिक्स आयोजनागत 800–अन्य व्यय 08–राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का विकास–00– 42–अन्य व्यय 202500	———	150000	52500(से)	4859–दूरसंचार एवं इलैक्ट्रानिक्स उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय 02–इलैक्ट्रानिक्स–आयोजनागत 800–अन्य व्यय 03–राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढ़ीकरण–00– 16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं का भुगतान 24155 (क)	25655	178345	(क) आवश्यकता के अनुरूप बजट व्यवस्था न होने के कारण (ख) आवश्यकता न होने के कारण
योग– 202500		150000	52500	24155	25655	178345	

(प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर 151–156 में उल्लिखित सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।)

(शत्रुघ्न सिंह)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–2
संख्या 505/XXVII(2)/2007
देहरादून दिनांक 24 दिसम्बर 2007

सेवा में,

महालेखाकार, निकट स्टेट बैंक, इन्द्रानगर, देहरादून

संख्या– 520 /06/XXXIV/सू0प्रौ0/2005

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– मुख्य कोषाधिकारी
2– वित्त अनुभाग–2

पुनर्विनियोग स्वीकृत

टी0 एन0 सिंह
अपर सचिव (वित्त)

आज्ञा से

(विजय कुमार डौंडियाल)
अपर सचिव